संख्या-18/2022/77-3099/59/2022/001-549-77-3-2022

प्रेषक,

अनिल कुमार,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
यूपीडा, पर्यटन भवन
गोमतीनगर लखनऊ।

औद्योगिक विकास अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 06 मई, 2022

विषयः- उ0प्र0 में डिफेन्स इण्डस्ट्रीयल कॉरिडोर परियोजना के अन्तर्गत सेन्टर ऑफ एक्सलेन्स के संचालन हेतु भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर एवं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी को वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में यूपीडा के पत्रांक-4484/यूपीडा/डि0 का0/961, दिनांक 16.08.2021 एवं 113/यूपीडा-992/डिफे0कॉरि0/तकनीकी दिनांक 12.04.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में लेखानुदान के अन्तर्गत अनुदान संख्या-7 के लेखाशीर्षक "5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-03-राज्य राजमार्ग-337-सड़क निर्माण कार्य-08-बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे के साथ डिफेन्स कॉरिडोर परियोजना-24-वृहद निर्माण कार्य" के अन्तर्गत धनराशि रू0 40000.00 लाख का बजट प्राविधान किया गया है। डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के अन्तर्गत स्थापित सेन्टर ऑफ एक्सलेन्स के संचालन हेतु शासन द्वारा स्वीकृति कार्ययोजना के अनुसार भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर एवं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लेखानुदान में प्राविधानित धनराशि में से क्रमशः रू0 1000.00 लाख एवं रू0 1000.00 लाख अर्थात रू0 2000.00 लाख (रुपये बीस करोड मात्र) निम्नलिखित शर्तों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

1. धनराशि का आहरण तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार किया जाएगा।
2. उक्त धनराशि का आहरण चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में ही किया जायेगा तथा दोनों सेन्टर आफ एक्सीलेन्स के संचालन हेतु शासन द्वारा संस्तुत कार्ययोजना के अनुसार ही दोनों आईआईटी संस्थानों द्वारा व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।
3. यूपीडा का यह भी दायित्व है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष उक्त दोनों प्रौद्योगिकी संस्थानों से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
4. प्रायोजना की आवश्यकताओं एवं औचित्य के आधार पर प्रस्तावित कार्यों का क्रियान्वयन सुसंगत वित्तीय नियमों/विनियमों/शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाए।
5. धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि के व्यय में वित्त आय व्ययक अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या सं0. 15/2021/बी-1-829/दस-2021-231/2022 दिनांक 30.12.2021 तथा शासनादेश दिनांक 29.03.2022 द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
6. उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जाएगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 20,00,00,000 (रुपये बीस करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20222023 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 007 **लेखा शीर्षक** 5054033370800 बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस - वे के साथ डिफेन्स कॉरीडोर परियोजना **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-6-3-X-2022-23-दिनांक:5-5-2022 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

अनिल कुमार,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या- 18/2022/77-3099/59/2022/001-549-77-3-2022, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर।
4. रजिस्ट्रार,भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी।
5. उप निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर।
6. डीन (रिसर्च एण्ड डेवलपमेन्ट), भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी।
7. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी,कानपुर एवं वाराणसी ।
8. निदेशक,वित्त सांख्यिकीय निदेशालय,जवाहर भवन,लखनऊ।
9. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-6,औद्योगिक विकास अनुभाग-2
10. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4
11. नोडल बजट एलाटमेन्ट सिस्टम।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अनिल कुमार,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।